<u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़</u>

पीठासीन अधिकारी – चावण्डदान चारण (आर.ए.एस.)

<u>प्रकरण संख्या: टी.ए. 22/2021</u>
<u>पंजीयन दिनांक: 25.06.2021</u>

शंकरी देवी पत्नि भगवानलाल जाति कुम्हार निवासी गोवलिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. घीसी पुत्री छोगा जाति गुर्जर निवासी गोवलिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. गोपाल पिता कालु जाति गुर्जर निवासी गोवलिया तहसील गंगरार हाल काठोडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. जीवराज पिता कालु जाति गुर्जर वयस्क निवासी गोवलिया तहसील गंगरार हाल निवासी काठोडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. टेमा पिता कालु जाति गुर्जर निवासी गोवलिया तहसील गंगरार हाल निवासी काठोडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. देबीलाल पुत्र छोगा जाति गुर्जर निवासी गोवलिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
6. भूमिधारी तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडन्टगण

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार प्रकरण संख्या 43/2020 निर्णय दिनांक 22.01.2021

उपस्थित वक्त बहस: 1. सुनील सुखवाल – अधिवक्ता अपीलान्ट
2. ललित शर्मा– रेस्पोडेन्ट सं.– 1 से 5
3. पूरणमल स्वर्णकार – राजकीय अभिभाषक रेस्पो–6

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 04.01.2022</u>**

रकबा 1.59 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है। इसी भूमि के पास ही रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी की सिंचाई का स्त्रोत आ0चा0 आराजी नम्बर 310 रकबा 0.06 स्थित है। रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण अपनी आराजीयात पर आने जाने कृषि फसल, ऊपज लाने ले जाने, कृषि उपकरण व मवेशी लाने ले जाने हेतु आबादी भूमि मौजा गोवलिया से निकलने वाले आम रास्ता जो मौजा लालास जाने वाले सरकारी रास्ते से मुडकर दक्षिणी दिशा मे स्थित रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 316 के पश्चिमी मेड पर होता हुआ आगे प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी की आराजी नम्बर 315 के पश्चिमी मेड मे से निकलता हुआ करीब 15 फीट चौडा रास्ता स्थित होकर आगे अपीलार्थिया की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 304 रकबा 0.10 हैक्टेयर की पश्चिमी दिशा मे उत्तर से दक्षिण के रूप मे अपीलार्थिया की मेड पर लम्बवत् करीब 15 फीट चौडा होकर इसी चालु रास्ते से होकर आगे स्थित प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी नम्बर 302 मे प्रवेश करता है। चालु रास्ते से रेस्पोडेन्टगण अपनी कृषि आराजी नम्बर 302 रकबा 0.39 हैक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु अपनी बैलगाड़ी, मवेशी, कृषि उपकरण आदि लाते ले जाते है। यही चालु रास्ता जो सरकारी आम रास्ता से जुडवा होकर आगे रेस्पोडेन्टगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि मे उत्तर से दक्षिण की दिशा के रूप मे रेस्पोडेन्टगण के पश्चिमी मेड आराजी नम्बर 315 व 316 पर लम्बवत् स्थित होकर 15 फीट चौडा चालु रास्ता मौजुद होकर आगे अपीलार्थिया के खातेदारी की कृषि भूमि के आराजी नम्बर 304 रकबा 0.10 हैक्टेयर मे से अपीलार्थिया की आराजी के पश्चिमी मेड पर जाता हुआ मौजुद होकर आगे रेस्पोडेन्टगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 302 के मध्य प्रवेश करता है। इसी चालु रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शे मे अंकित किया व आगे यह निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण की शामलाती खातेदारी कृषि आराजीयात पर आने जाने कृषि करने फसल ऊपज, कृषि उपकरण मवेशी लाने ले जाने हेतु उक्त चालु रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजुद नही है। रेस्पोडेन्टगण उक्त चालु रास्ता जो वर्तमान मे अपीलार्थिया विपक्षीया की खातेदारी की आराजी नम्बर 304 मे बने हुए चालु रास्ते से ही अपनी आराजी नम्बर 302 रकबा 0.39 हैक्टेयर पर विगत 100 वर्षो से पैतृक कृषि भूमियो का हक हिस्सा होने से आते–जाते रहे है। लेकिन अपीलार्थिया विपक्षीया ने रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण के पिता व पति छोगाजी के सगे भाई लालुजी की मृत्यु के पश्चात् विरासती नामान्तकरण से इनके वैध पुत्र लच्छीराम पिता लालु ने अपना हक हिस्सा अन्य आराजीयात के साथ इसी चालु रास्ते की आराजी नम्बर 304 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि नारायण गुर्जर को विक्रय कर दी और उन्होने भी इसी आराजी को पुनः अपीलार्थिया विपक्षीया को विक्रय कर देने से अपीलार्थिया विपक्षीया ने दिनांक 02.06.2020 को जबरन उक्त चालु रास्ते के रोको तथा अवरोध करने हेतु कन्टीली झाडिया व पत्थर के खम्भे

फसल बुवाई करने हेतु अपने कृषि उपकरण बैलगाडी ट्रेक्टर व मवेशी आदि नही ले जा पा रहे है और कृषि कार्य भी नही कर पा रहे है तथा अपीलार्थिया विपक्षीया द्वारा चालु रास्ते मे पत्थर खम्भे रोपकर तार जाली लगाकर चालु रास्ता बन्द कर देने से रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण के खातेदारी की अमुल्य कृषि भूमि व्यर्थ मे बरसात का मौसम, फसल बुवाई व खुदाई से मेहरूम हो रहे है। जिससे रास्ता खुलवाया जावे व राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करवाया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थिया विपक्षीया के सम्मन नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलार्थिया जरिये अधिवक्ता उपस्थित हई। व जवाब हेतु अवसर चाहा। विचारण न्यायालय ने प्रकरण मे जवाब हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.01.2021 नियत की। दिनांक 11.01.2021 को भी अपीलार्थिया विपक्षीया जवाब प्रस्तुत नही कर पाने से जवाब हेतु तारीख पेशी दिनांक 22.01.2021 की तारीख पेशी नियत की गई। व दिनांक 22.01.2021 को अपीलार्थिया की ओर से नियुक्त अधिवक्ता विचारण न्यायालय मे अन्य कार्य मे व्यस्त होने से उपस्थिति नही दे पाये। जिससे विचारण न्यायालय ने अपीलार्थिया विपक्षीया के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर उसी दिन बहस सुनी जाकर एक तरफा मे रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 22.01.2021 जो अपीलार्थिया के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पारित किया गया। उक्त निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थिया ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अपील अपीलार्थिया प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थिया का अपील मे तर्क रहा है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थिया को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर विधिक प्रक्रिया का अपहरण करते हुए जल्दबाजी मे निर्णय व आदेश पारित किया है जिससे अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण

पारित किया है। जो विधि अनुसार निर्णय व आदेश होने से अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त की जाकर अधीनस्थ विचारण विद्धवान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को यथावत रखाया जावे।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से विदित होता है कि रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने का रास्ता जो आराजी नम्बर 304 की मेड पर अवस्थित है। जिसको राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने व उक्त रास्ते को चालु कराये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसको अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थिया को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया व अपीलार्थिया जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे उपस्थित हुई। जवाब हेतु अवसर चाहा। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थिया को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर बिना जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किये अपीलार्थिया विपक्षीयां के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर एक ही दिन मे वैधानिक प्रक्रिया का अपहरण करते हुए रेस्पोडेन्टगण के पक्ष मे निर्णय व आदेश पारित किया है जो संहवनीय नही होने से अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार प्रकरण संख्या 43/2020 निर्णय व आदेश दिनांक 22.01.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़